प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संख्या : प्रोरासिविवि / कुसका / 2021–460
दिनांक– 25 अक्टूबर, 2021

कार्यालय–आदेश

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन के मानक आदि का निर्धारण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–292 / सत्तर–2–2020– 18(31) / 2018 दिनांक 13.05.2020 एवं पत्र संख्या–266 / सत्तर–2–2020–18 (31) / 2018 दिनांक 23.04.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 17.05.2020 के निर्णय बिन्दु संख्या–15.01 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन के मानक आदि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	प्राचार्य	–	30,000 / – प्रतिमाह
2.	प्राध्यापक	–	25,000 / – प्रतिमाह
3.	शिक्षणेत्तर कर्मचारी (समूह–ग)	–	17,000 / – प्रतिमाह
4.	शिक्षणेत्तर कर्मचारी (समूह–घ)	–	8,000 / – प्रतिमाह

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्रबन्धक / सचिव से अनुरोध है कि वह उक्त का संज्ञान ग्रहण करते हुए शैक्षिक सत्र 2021–22 से अपने महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत् प्राचार्य / शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निर्धारित वेतन प्रदान करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Ashuklee

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–2), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. अधिष्ठाता, कला / वाणिज्य संकाय / छात्र कल्याण, संस्थागत।
6. समस्त उप कुल सचिव / लेखाधिकारी / सहायक कुल सचिव।
7. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्रबन्धक / सचिव।
8. निजी सचिव कुलपति जी को, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
9. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–आदेश को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Ashuklee

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव।